संख्या- 1723(III) नौ-9-10-/2010-116ज/2010टीसी

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊःदिनॉक 13 अगस्त,2010

विषयः-प्रदेश के प्राधिकरणों द्वारा नागर निकायों को हस्तान्तरित किये गये शहर के पुराने क्षेत्रों में नक्शा आदि स्वीकृत करने से प्राप्त राजस्व को अवस्थापना मद में रखा जाना।

महोदय,

शहरी स्थानीय निकायों को विभिन्न योजनाओं में राज्य वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग के अर्न्तगत तथा 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी के मद से धनराशि प्राप्त होती है। उक्त के अतिरिक्त स्थानीय निकायों के अपने कर-करेत्तर राजस्व के स्त्रोत भी है। वर्तमान में चल रही अवस्थापना विकास परियोजनाओं के कारण स्थानीय निकायों पर आगामी वर्षो में रख-रखाव के मद में एक वृहद धनराशि की आवश्यकता होगी।

2- इस संबंध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शहर के पुराने क्षेत्र,जो विकास प्राधिकरण द्वारा नागर निकायों को हस्तान्तरित किये जा चुके है,उनमें नक्शा आदि स्वीकृत करने के मद में जो भी राजस्व प्राप्त होता है, उसे अवस्थापना मद में रखा जाय और उक्त धनराशि का उसी क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग किया जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

GO-G